93

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1370-तीन/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 21-07-2008 पारित द्वारा आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 08/अपील/07-08

अभिषेक पिता श्री सागरचन्दजी जैन
निवासी इंदौर लिंक रोड नानाखेडा उज्जैन

.....आवेदक

विरूद्ध

1-भगवती एजेन्सी द्वारा प्रोप्रायटर मधुसुघन
सोमानी 101 क्लासिक सेंटर 563,एम.जी.रोड इंदौर म0प्र0
2-मदनलाल मृत वारिसान :-
अ-श्रीमती बिन्दाबाई पति श्री
निवासी ग्राम ताजापुर तहसील व जिला उज्जैन
ब-कैलाशचन्द्र आत्मज श्री मदनलाल
निवासी हाटपुरा आगर तहसील आगर जिला शाजापुर
स-कल्याणमल आत्मज श्री मदनलाल (मृत) वारिसान :-
निवासी मुदडा कालोनी उज्जैन
शीला भण्डारी पत्नि स्व0श्री कल्याणमल
द-प्रमोद उर्फ मुन्ना आत्मज श्री मदनलालजी
विमला रेडीमेट गारमेंट शॉप स्टेशन रोड कोटा
राजस्थान
क-मलन आत्मज श्री मदनलाल इन्जीनियर
पी0एच0ई0 ऑफिस रतलाम म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री एन0एस0सिसौदिया, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनूप सिन्हा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-07-2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार उज्जैन के समक्ष प्रत्यर्थी क्रमांक 1 भगवती ऐजेन्सी द्वारा प्रोप्रायटर मधुसूधन सोमानी ने संहिता की धारा 109 व 110 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करके मदनलाल कल्याणमल और नरेश से ग्रामनानाखेडा की भूमि 0.423 हेक्टेयर रूपये 33,60,000/- में क्रय की गई है इस पर उसका नामान्तरण किया जाये । तहसीलदार उज्जैन द्वारा प्रकरण क्र. 4/अ-6/06-07 में पारित आदेश दिनांक से 31-10-2006 से अनावेदक क्रमांक 1 का नामान्तरण आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7-9-07 से अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 21-7-08 को आदेश पारित द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय ने संहिता की धारा 109, 110 में बने नियमों का पालन किये बिना विवादित आदेश पारित किया है, इसके संबंध में कोई निष्कर्ष दिये बिना विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश को निरस्त नहीं करने में भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलग्रस्त आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार साक्ष्य अभिलिखित नहीं है व संबंधित पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है और न ही प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया है । इस स्थिति में विचारण न्यायालय का आदेश अवैधानिक होने के उपरांत भी उसे निरस्त नहीं करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी भूल की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन ने प्रकरण में आये समस्त तथ्यों की विस्तृत विवेचना करते हुये आदेश पारित किया है । आवेदक द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस पर विचार किया जा सके । तहसील न्यायालय द्वारा रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरण किया है तथा राजस्व न्यायालय रजिस्ट्री की वैधता की जॉच नहीं कर सकता है रजिस्ट्री की जॉच का अधिकार सिविल न्यायालय को है । सिविल न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है तथा सिविल न्यायालय द्वारा कब्जे के संबंध में स्थगन दिया गया नामान्तरण संबंधी कार्यवाही को रोकने के संबंध में कोई स्थगन नहीं दिया गया है, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा किये गये नामान्तरण को दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखे जाने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अत: इस संबंध तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> "धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-7-2008 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-7-2008 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर